

# छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 217

प्रकरण क्रमांक- M-PRO-2022-01838

आवेदक : मेसर्स न्यू रायपुर डेव्हलपर्स, पार्टनर मोहम्मद आबिद सूर्या, पता-फवारा चौक, बैरन बाजार, रायपुर (छ.ग.) विरुद्ध क्लासिक सिटी रेसीडेन्सियल को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी द्वारा-अध्यक्ष श्रीमती अनुराधा यादव, पता-एच-5, क्लासिक सिटी, परसुलीडीह, रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट - "क्लासिक सिटी", ग्राम-परसुलीडीह, रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
07/08/2023	<p>– प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>– आवेदक द्वारा अधिवक्ता श्री शाश्वत सुराना उपस्थित।</p> <p>– अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रकरण वापस लेना चाहा तथा यह अनुरोध किया गया कि उन्हें इस बात की स्वतंत्रता दी जाए कि भविष्य में नया आवेदन प्रस्तुत कर सके।</p> <p>आवेदक के अनुरोध पर प्रकरण वापस लिये जाने की स्थिति में प्रकरण निरस्त किया जाता है।</p> <p>प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे।</p> <p>सही / – (धनंजय देवांगन) सदस्य</p>	<p>सही / – (संजय शुक्ला) अध्यक्ष</p>